फारम – 127

कृप्या देखे पाराग्राफ – 88

बिकी अधिसूचना।

वित्तीय वर्ष 2013–14 (1लीo अप्रील 2013 से 31 मार्च, 2014 तक)

(देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानो की खुदरा बिकी के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानो या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बन्दोबस्ती दिनांक 25.02.2013 को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10.00 बजे दिन से समाहरणालय ग्रामपलेक्स भवन, जहानाबाद में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बंदोवस्त की जायेगी।
2. लॉटरी द्वारा दुकानो की बंदोबस्ती निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी ओर इन सभी शर्तो से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बंदोबस्ती में भाग ले सकता है।
3. लॉटरी द्वारा बंदोबस्त होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बंदोबस्ती की जायेगी।
4. (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लौटरी प्रणाली द्वारा मूल ८५ से दुकानवार बंदोवस्त किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बंदोवस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानो की बंदोबस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लॉटरी द्वारा बंदोबस्त किया जाएगा। छोटा समूह अधिकतम तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें, लाभकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकानें भी होंगी।

दुकानों के प्रत्येक समह (एकल दुकान के समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लॉटरी द्वारा निकाला जाएगा। लॉटरी द्वारा निकाले गए प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बंदोवस्ती की जाएगी।

यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बंदोवस्त नहीं हो सके या बंदोवस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञप्ति विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह (एकल दुकान के समूह सहित) के दुकान के लिए चनित दूसरे लौटरी विजेत तथा उसके मूकर जाने के उपरांत तीसरे लॉटरी विजेता के साथ बंदोवस्ती की जाएगी।

यदि लौटरी विजेता दुकान/दुकानों के समूह की बंदोवस्ती लेने से मूकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बंदोवस्ती लेने सें निरर्हित हो जाएगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानो से अधिक दुकानों की बंदोवस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोवस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बंदोबस्ती की कारवाई की जायेगी।